

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री माहेश्वरी पेपर ट्रेडिंग कम्पनी, 4, जैन मार्केट, मीरगंज, इलाहाबाद ।
प्रार्थना पत्र संख्या 353 / 08
प्रार्थी की ओर से श्री सन्तोष पनामा, संयोजक ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-353 / 08, दिनांक 19.8.08 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से विज्ञप्ति संख्या-क0 नि0-2-766 / ग्यारह-9 (2003) / 92-30 प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(11)-2008, दिनांक 04 मार्च, 2008 के क्रम में व्यापारी द्वारा आयातित कागज की प्रवेश कर की करदेयता पर निम्न जानकारी चाही गयी है ?

1. क्या आयातित पेपर की बिक्री पर 4% वैट देय है एवं प्रवेश कर 5% के बराबर वैट को समायोजित करते हुए 1% की दर से प्रवेश कर की देयता होगी ?

2. क्या 5% की दर से प्रवेश कर जमा करने के पश्चात आयातित पेपर की बिक्री करने पर 4% देय वैट का समायोजन होगा ?

2. फर्म की ओर से श्री सन्तोष पनामा, संयोजक उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा लिखित तथ्यों का दोहराया गया ।

3. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद के पत्र संख्या-2020, दिनांक 24.9.08, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, इलाहाबाद के पत्र संख्या-3299, दिनांक 22.9.08 व डिप्टी कमिश्नर (क0 नि0) वाणिज्य कर, खण्ड-8, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्रांक-697, दिनांक 15.9.08 द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार विज्ञप्ति संख्या-766, दिनांक 4.3.08 प्रभावी तिथि 1.1.08 के द्वारा स्थानीय क्षेत्र में पेपर के प्रवेश करने के पूर्व, देय वैट की धनराशि के बराबर प्रवेश कर में छूट अनुमन्य है । यह विज्ञप्ति प्रवेश कर अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत जारी की गयी है । प्रान्त बाहर से पेपर उत्तर प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने के पूर्व उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत देय वैट शून्य है । उपरोक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत ऐसे पेपर पर प्रवेश कर की कोई छूट देय नहीं है अर्थात् प्रान्त बाहर से पेपर आयात करने पर 5% की दर से प्रवेश कर देय है । आयात करने के पश्चात बिक्री करने पर 4% की दर से वैट भी देय है । उनकी आख्या के अनुसार आयातित पेपर की खरीद पर 5% की दर से प्रवेश कर तथा 4% की दर से वैट देय है ।

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परिशीलन किया गया । व्यापारी के उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर निम्न प्रकार दिया जा रहा है :-



सर्वश्री माहेश्वरी पेपर ट्रेडिंग कम्पनी /प्रा0 सं0-353 / 08 / धारा-59 / पृष्ठ-2

प्रथम प्रश्न का उत्तर

दिनांक 15.01.09 तक विज्ञप्ति संख्या-766, दिनांक 4.3.08 के द्वारा लिखने मुद्रण एवं पैकिंग के कागज जिसमें समाचार-पत्र का कागज सम्मिलित नहीं है, पर किसी स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश के पूर्व देय मूल्य संवर्धित कर के बराबर प्रवेश कर में छूट थी। कागज पर 5% की दर से करदेयता रही है। अतः विचाराधीन व्यापारी द्वारा आयातित कागज पर 5% की दर से प्रवेश कर देय है और उस आयातित कागज की बिक्री होने पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत 4% मूल्य संवर्धित कर भी देय होगा। इस प्रकार के आयातित कागज पर मूल्य संवर्धित कर का प्रवेश कर में समायोजन अनुमन्य नहीं है।

द्वितीय प्रश्न का उत्तर

दिनांक 15.01.09 तक 5% की दर से प्रवेश कर जमा करने के पश्चात आयातित पेपर की बिक्री पर 4% की दर से वैट भी देय है। इसमें किसी प्रकार का समायोजन अनुमन्य नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि शासन की विज्ञप्ति संख्या-103, दिनांक 15.1.2009 द्वारा दिनांक 16.1.2009 से उक्त विज्ञप्ति संख्या-766, दिनांक 4.3.2008 विखण्डित की जा चुकी है तथा विज्ञप्ति संख्या-104, दिनांक 15.1.09 के द्वारा दिनांक 16.1.2009 से कागज पर किसी प्रकार की रिबेट का लाभ / सुविधा उपलब्ध नहीं है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 18, फरवरी, 2010

ह0 /- 18.2.2010

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।



प्रमाणित प्रतिलिपि
18/2/10